न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

(1) निगरानी संख्या–188/2015–16 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

1– कमल किशोर पुत्र मोहन लाल, निवासी–ग्राम फलदाकोट, पट्टी उदयपुर, तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल, 2. संतोष कुमार पुत्र रोशन लाल, निवासी–ग्राम फलदाकोट, पट्टी उदयपुर, तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल हाल–397/2 टाईप–2, सेक्टर–2 शादिक नगर, नई दिल्ली।

बनाम

1– राजेन्द्र प्रसाद, 2. देवेन्द्र प्रसाद, 3. कोमल प्रसाद, 4 अरूण कुमार, 5. ग्राम सभा द्वारा ग्राम प्रधान, सभी निवासी–ग्राम फलदाकोट, पट्टी उदयपुर, तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल, 6. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, पौड़ी।

(2) निगरानी संख्या–189/2015–16 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

संतोष कुमार पुत्र रोशन लाल, निवासी–ग्राम फलदाकोट, पट्टी उदयपुर, तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल हाल–397/2 टाईप–2, सेक्टर–2 शादिक नगर, नई दिल्ली।

बनाम

1– राजेन्द्र प्रसाद, 2. देवेन्द्र प्रसाद, 3. कोमल प्रसाद, 4 अरूण कुमार, 5. ग्राम सभा द्वारा ग्राम प्रधान, सभी निवासी–ग्राम फलदाकोट, पट्टी उदयपुर, तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल, 6. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, पौड़ी।

उपस्थित	:	श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्तागण	:	श्री उपेन्द्र सिंह मनयारी।
अधिवक्ता उत्तरदाता सं0–1 से 4	:	श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।

निर्णय

ये दोनों निगरानियां निगरानीकर्तागण उपरोक्त द्वारा अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या–21 वर्ष 2014–15 कमल किशोर आदि बनाम राजेन्द्र प्रसाद आदि एवं अपील संख्या–22 श्रीमती दर्शनी देवी बनाम राजेन्द्र प्रसाद आदि में पारित निर्णयादेशों दिनांक 12–05–2016 के विरूद्ध प्रमुखतः इन आधारों पर योजित की गई है कि मूल न्यायालय में निगरानीकर्तागण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही प्रदान किया गया, कि प्रतिवादिनी श्रीमती दर्शनी देवी की दिनांक 28–11–2013 को मृत्यु हो गयी थी जिसकी जानकारी होने के उपरान्त भी उत्तरदातागण संख्या–1 से 4/वादीगण द्वारा उसके स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित नही करवाया जिससे परीक्षण

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 31–03–2015 स्वतः विधितः शून्य है, कि मूल वाद में कोई वाद कारण नही उपलब्ध था क्योंकि सहखातेदारी में प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर भूमिधरी अधिकार नही प्राप्त हो सकते है, कि प्रतिवादिनी श्रीमती दर्शनी देवी के पूर्वजों को भूमिधरी अधिकार 1373 फसली अर्थात लगभग वर्ष 1965–66 में प्राप्त हुए तद्नुसार वर्ष 1950 में किये गये किसी लिखत के आधार पर वादीगण/उत्तरदातागण को कोई भौमिक अधिकार नही प्राप्त होते है एवं कि श्रीमती दर्शनी देवी मूल भूमिधर का वादग्रस्त भूमि पर अध्यासन उसके जीवनपर्यंत रहा एवं उसके द्वारा क्रमशः अपने सगे पौत्र निगरानीकर्ता संतोष कुमार के पक्ष में 0.59 है0 भूमि दान पत्र किया गया एवं निगरानीकर्ता कमल किशोर के पक्ष में 0.086 है0 भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित किया गया जिसके आधार पर निगरानीकर्तागण वादग्रस्त भूमि पर काबिज है।

इन निगरानियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

उत्तरदाता संख्या–1 से 4/वादीगण द्वारा ग्राम–मैलडूंगा, पट्टी उदयपुर, तहसील यमकेश्वर के खाता संख्या–14 की 9 नाली 3 मुठ्ठी भूमि एवं ग्राम–बैरागढ़, पट्टी उदयपुर–2 के खाता सं0–19, 20, 21, 22 व 10 की 38 नाली 3 मुठ्ठी भूमि का स्वयं को भूमिधर घोषित किये जाने हेतु दो अलग–अलग वादपत्र अन्तर्गत धारा–229बी जं0वि0अधि0 सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार के समक्ष दिनांक 10–07–2012 को इस आधार पर प्रस्तुत किये गये कि ग्राम–बैरागढ़, पट्टी उदयपुर–2 तहसील यमकेश्वर के खाता संख्या–19, 20, 21, 22 व 10 के मूल भूमिधर स्व0 तोताराम थे एवं उसकी मृत्यु के बाद उनके पुरूष वारिसान न होने के कारण तकनीकी आधार पर उसकी पुत्री श्रीमती दर्शनी देवी के नाम दर्ज हो गई तथा खाता संख्या–10 में आज भी स्व0 तोताराम के नाम दर्ज चला आ रहा है। ग्राम–मैलडूंगा, पट्टी उदयपुर, तहसील यमकेश्वर के फसली वर्ष 1409–1414 में दर्ज खाता संख्या–14 में तोताराम पुत्र केदारदत्त के नाम 9 नाली 3 मुठ्ठी भूमि दर्ज थी एवं तोताराम की मृत्यु के बाद उसके पुरूष वारिसान न होने के कारण उक्त भूमि उनकी पुत्री श्रीमती दर्शनी देवी के नाम दर्ज हो गयी। तोताराम द्वारा अपना कारोबार चलाने तथा ऋण की अदायगी के लिए वादीगण के दादा स्व0 गंगादत्त से रूपये 1000/– लिया गया था ऋण की अदायगी के ऐवज में तोताराम द्वारा एक तहरीर दिनांक 15–12–1950 को अपनी समस्त भूमि मध्ये कुल 4 नाली भूमि अपनी पुत्री दर्शनी देवी को देकर ग्राम–बैरागढ़ व मैलडूंगा की शेष समस्त भूमि वादीगण के दादा स्व0 गंगादत्त को दे दी। चूंकि श्रीमती दर्शनी देवी अपने ससुराल में ही रहती थी लिहाजा उसने दिनांक 19–09–1981 को स्थानीय रिवाज के अनुसार एक स्टाम्प तहरीर कर अपनी 4 नाली भूमि वादीगण के पिता प्रेमलाल को दे दी। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में वादीगण के दादा, पिता व अब वादीगण काबिज कास्त चले आ रहे है तथा उनके वादग्रस्त भूमि पर भूमिधरी अधिकार परिपक्व हो गये हैं। तद्नुसार उन्हें वादग्रस्त भूमि का भूमिधर घोषित किया जाए। वादपत्र के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–1, 2 व 3 द्वारा प्रतिवाद पत्र दिनांक 05–03–2013 को प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 31–03–2015 स्वतः विधितः शून्य है, कि मूल वाद में कोई वाद कारण नही उपलब्ध था क्योंकि सहखातेदारी में प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर भूमिधरी अधिकार नही प्राप्त हो सकते है, कि प्रतिवादिनी श्रीमती दर्शनी देवी के पूर्वजों को भूमिधरी अधिकार 1373 फसली अर्थात लगभग वर्ष 1965–66 में प्राप्त हुए तद्नुसार वर्ष 1950 में किये गये किसी लिखत के आधार पर वादीगण/उत्तरदातागण को कोई भौमिक अधिकार नही प्राप्त होते है एवं कि श्रीमती दर्शनी देवी मूल भूमिधर का वादग्रस्त भूमि पर अध्यासन उसके जीवनपर्यंत रहा एवं उसके द्वारा क्रमशः अपने सगे पौत्र निगरानीकर्ता संतोष कुमार के पक्ष में 0.59 है0 भूमि दान पत्र किया गया एवं निगरानीकर्ता कमल किशोर के पक्ष में 0.086 है0 भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित किया गया जिसके आधार पर निगरानीकर्तागण वादग्रस्त भूमि पर काबिज है।

इन निगरानियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

उत्तरदाता संख्या–1 से 4/वादीगण द्वारा ग्राम–मैलडूंगा, पट्टी उदयपुर, तहसील यमकेश्वर के खाता संख्या–14 की 9 नाली 3 मुठ्ठी भूमि एवं ग्राम–बैरागढ़, पट्टी उदयपुर–2 के खाता सं0–19, 20, 21, 22 व 10 की 38 नाली 3 मुठ्ठी भूमि का स्वयं को भूमिधर घोषित किये जाने हेतु दो अलग–अलग वादपत्र अन्तर्गत धारा–229बी जं0वि0अधि0 सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार के समक्ष दिनांक 10–07–2012 को इस आधार पर प्रस्तुत किये गये कि ग्राम–बैरागढ़, पट्टी उदयपुर–2 तहसील यमकेश्वर के खाता संख्या–19, 20, 21, 22 व 10 के मूल भूमिधर स्व0 तोताराम थे एवं उसकी मृत्यु के बाद उनके पुरूष वारिसान न होने के कारण तकनीकी आधार पर उसकी पुत्री श्रीमती दर्शनी देवी के नाम दर्ज हो गई तथा खाता संख्या–10 में आज भी स्व0 तोताराम के नाम दर्ज चला आ रहा है। ग्राम–मैलडूंगा, पट्टी उदयपुर, तहसील यमकेश्वर के फसली वर्ष 1409–1414 में दर्ज खाता संख्या–14 में तोताराम पुत्र केदारदत्त के नाम 9 नाली 3 मुठ्ठी भूमि दर्ज थी एवं तोताराम की मृत्यु के बाद उसके पुरूष वारिसान न होने के कारण उक्त भूमि उनकी पुत्री श्रीमती दर्शनी देवी के नाम दर्ज हो गयी। तोताराम द्वारा अपना कारोबार चलाने तथा ऋण की अदायगी के लिए वादीगण के दादा स्व0 गंगादत्त से रूपये 1000/– लिया गया था ऋण की अदायगी के ऐवज में तोताराम द्वारा एक तहरीर दिनांक 15–12–1950 को अपनी समस्त भूमि मध्ये कुल 4 नाली भूमि अपनी पुत्री दर्शनी देवी को देकर ग्राम–बैरागढ़ व मैलडूंगा की शेष समस्त भूमि वादीगण के दादा स्व0 गंगादत्त को दे दी। चूंकि श्रीमती दर्शनी देवी अपने ससुराल में ही रहती थी लिहाजा उसने दिनांक 19–09–1981 को स्थानीय रिवाज के अनुसार एक स्टाम्प तहरीर कर अपनी 4 नाली भूमि वादीगण के पिता प्रेमलाल को दे दी। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में वादीगण के दादा, पिता व अब वादीगण काबिज कास्त चले आ रहे है तथा उनके वादग्रस्त भूमि पर भूमिधरी अधिकार परिपक्व हो गये हैं। तद्नुसार उन्हें वादग्रस्त भूमि का भूमिधर घोषित किया जाए। वादपत्र के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–1, 2 व 3 द्वारा प्रतिवाद पत्र दिनांक 05–03–2013 को प्रस्तुत किया गया।

विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार ने विधिवत वाद की सुनवाई उपरान्त दिनांक 24–09–2013 को प्रतिवादीगण/निगरानीकर्तागण की अनुपस्थिति के चलते उनके विरूद्ध साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दोनो वाद अपने निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 31–03–2015 से वादीगण के पक्ष में स्वीकार किये। निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 31–03–2015 के विरूद्ध आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के समक्ष पृथक–पृथक दो अपीलें प्रस्तुत की गई जिन्हें विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ने अपने निर्णयादेश दिनांक 12–05–2016 से अस्वीकार किया। इसी आदेश दिनांक 12–05–2016 के विरूद्ध उपरोक्त दो निगरानियां प्रस्तुत की गई है।

दोनो निगरानियों में समान आधार होने एवं लगभग समान पक्षकार होने तथा उनके एक समान आधार पर पारित निर्णयादेश/आज्ञप्ति के विरूद्ध योजित होने के दृष्टिगत उनपर बहस एकीकृत रूप से सुनी गई एवं उनका निस्तारण एक ही निर्णयादेश से किया जा रहा है।

मैंने निगरानीकर्तागण एवं उत्तरदाता संख्या–1 से 4 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावलियों का सम्यक अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परीक्षण न्यायायल द्वारा पारित निर्णय व आज्ञप्ति में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन नही हुआ है क्योंकि निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही प्रदान किया गया न ही उन्हें वादी पक्ष के साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिया गया, कि वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी की भूमि है जिसपर प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर भूमिधरी अधिकार नही प्राप्त होते है, कि कथित लिखत निष्प्रभावी है क्योंकि वादी के पूर्वजों को लिखत करते समय भूमि अन्तरित करने का कोई अधिकार नही था, कि निगरानीकर्तागण का वादग्रस्त भूमि पर अध्यासन है परन्तु उत्तरदातागण द्वारा अतिक्रमण एवं कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि वे इस भूमि पर खनन का कार्य करना चाहते है जिसमें उनका चालान भी हो रहा है, कि राजनीतिक दबाव में निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण को सुनवाई के अवसर से वंचित कर दिया गया एवं कि परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी पक्ष के अनुपस्थिति जानबूझकर नही रही है तथा उन्हें अपना पक्ष सिद्ध करने का अवसर मिलना विधितः अनिवार्य है।

उत्तरदाता संख्या–1 से 4 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि निगरानीकर्तागण द्वारा द्वितीय अपील के स्थान पर निगरानियां प्रस्तुत की गई है अतः निगरानी के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत ही आक्षेपित निर्णयादेशों एवं आज्ञप्तियों को देखा जायेगा एवं यदि क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कोई तात्विक त्रुटि है भी तो उसे निगरानी में पुनरीक्षित नही किया जा सकता है, कि मूल वाद में प्रतिवादिनी का कोई विशिष्ट खण्डन आदेश VIII नियम 5 सी0पी0सी0 के अनुसार नही किया गया है, कि वाद बिन्दुओं के गठन के उपरान्त ही प्रतिवादीगण द्वारा वाद में प्रतिवाद करना छोड़ दिया गया है एवं दिनांक 24–09–2013 को उनका अवसर समाप्त कर

वादों की कार्यवाहियां एकपक्षीय रूप से चली जिसके लिए प्रतिवादी पक्ष द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र नही प्रस्तुत किया गया, कि मूल वाद में निर्णय व आज्ञप्ति वर्ष 2015 में पारित किये गये एवं आलोच्य वादों में प्रक्रिया का पूर्ण पालन हुआ है यंहा तक कि जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व द्वारा साक्षीगण के साथ साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण भी किया गया, कि प्रथम अपील में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आज्ञप्ति की पुष्टि की गई है एवं आक्षेपित निर्णयादेश व आज्ञप्ति में कोई तात्विक अनियमितता नही है तद्नुसार समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्ष को निगरानी में प्रतिस्थापित नही किया जा सकता है।

जैसा कि पूर्व में उल्लेख हो चुका है कि मूल वादों में मुख्य प्रतिवादिनी दर्शनी देवी जो कि वादग्रस्त भूमि में भूमिधर सहखातेदार अंकित है एवं निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण संख्या–2 व 3 के द्वारा दिनांक 05–03–2013 को प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें वाद पत्रों के दर्शनी देवी के वादग्रस्त भूमि के भूमिधर होने के तथ्य के अतिरिक्त अन्य तथ्य को अस्वीकार किया गया है। दिनांक 24–09–2013 को प्रतिवादीगण के अनुपस्थिति के आधार पर उनके साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। तत्पश्चात आलोच्य वादों की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से चली एवं अंततः निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 31–03–2015 पारित किये गये। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व आज्ञप्ति के विरूद्ध प्रथम अपीलें दिनांक 28–04–2015 प्रस्तुत की गई जिसमें अन्य विधिक व तात्विक बिन्दुओं/आधारों के अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया गया कि मूल वाद में प्रतिवादिनी संख्या–1 दर्शनी देवी की मृत्यु दिनांक 28–11–2013 को हो चुकी थी एवं मूल वादों में उक्त स्थिति के दृष्टिगत उसके स्थान पर प्रतिस्थापन हेतु कोई कार्यवाही नही की गई फलतः निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 31–03–2015 स्वतः ही शून्य हो जाते है। वाद पत्रों के अवलोकन से बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण/उत्तरदातागण द्वारा याचित अनुतोष मृतक प्रतिवादिनी श्रीमती दर्शनी देवी के भूमिधरी अधिकार के सापेक्ष है अर्थात् वही प्रमुख प्रतिवादिनी थी। श्रीमती दर्शनी देवी की मृत्यु निगरानीकर्तागण के अनुसार 28–11–2013 को हो चुकी थी अतः उक्त तिथि के उपरान्त उक्त वादों की कार्यवाही प्रमुख प्रतिवादिनी के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेखों पर लाये बिना सम्पन्न की गई। आदेश XXII नियम 4(3) सी0पी0सी0 के अनुसार यदि आदेश XXII नियम 4(1) के अन्तर्गत मृतक/प्रतिवादिनी के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने एवं पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नही प्रस्तुत किया जाता है तो वाद उपशमित हो जायेगा। वादीगण द्वारा मूल वादों में निर्णय व आज्ञप्ति पारित होने तक अर्थात् लगभग 2 वर्ष की अवधि में भी मूल प्रतिवादिनी की मृत्यु के उपरान्त उसके विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने हेतु कोई आवेदन नही किया गया तदनुसार मूल वाद उपशमित हो जाते है। वाद पत्रों में मुख्य अनुतोष प्रतिवादिनी श्रीमती दर्शनी देवी के विरूद्ध ही याचित होने के दृष्टिगत उसकी मृत्यु के उपरान्त वाद हेतुक/वाद आधार बने रहने का प्रश्न नही था अतः उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित न कराये

जाने के दृष्टिगत पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 31–03–2015 विधि की दृष्टि में शून्य एवं निष्प्रभावी है क्योंकि मृतक व्यक्ति के विरूद्ध कोई आज्ञप्ति नही हो सकती है।

मुख्य प्रतिवादिनी दर्शनी देवी की मृत्यु के दृष्टिगत ही प्रतिवादी पक्ष द्वारा वाद बिन्दुओं के गठन के उपरान्त वाद की कार्यवाही में प्रतिभाग नही किया जा सका। वादीगण/उत्तरदाता संख्या–1 से 4 का ही कर्त्तव्य था कि वे प्रतिवादिनी दर्शनी देवी की मृत्यु के दृष्टिगत उसके विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन की कार्यवाही करते। तद्नुसार उनके पक्ष में पारित निर्णय व आज्ञप्ति का वे लाभ नही प्राप्त कर सकते क्योंकि ऐसे निर्णय व आज्ञप्ति मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित होने के दृष्टिगत विधि की दृष्टि में शून्य है।

एक अन्य विधिक तथ्य वादग्रस्त भूमि की खतौनी की प्रविष्टि के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि के सभी सहखातेदारों को मूल वादों में पक्षकार नही बनाया गया है। भूमिधरी अधिकार की घोषणा हेतु विवादित भूमि के सभी सहखातेदार ऐसे वाद में आवश्यक पक्षकार है तद्नुसार मूल वादों में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का भी दोष विद्यमान है।

विद्वान अपर आयुक्त ने अपने अपीलीय निर्णय में मुख्य प्रतिवादिनी की मृत्यु से उपजी विधिक स्थिति का विधिसम्मत विवेचन व विश्लेषण नही किया है एवं इस दृष्टि से त्रुटिपूर्ण निर्णय अंकित किया है। दोनो अवर न्यायालयों ने वादग्रस्त भूमि के सभी सहखातेदारों को पक्षकार न बनाये जाने के दोष का भी संज्ञान नही लिया है।

आलोच्य वादों में एवं प्रथम अपीलों की उक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत प्रस्तुत निगरानियों में बल है। उक्त विधिक आधारों पर निगरानियाँ स्वीकारणीय होने के दृष्टिगत विद्वान अधिवक्तागण द्वारा मामलों के गुणदोष से सम्बन्धित तर्कों पर विचार किया जाना अनावश्यक है।

आदेश

दोनो निगरानियां स्वीकार कर मूल वादों में पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 31–05–2013 एवं प्रथम अपीलों में पारित निर्णयादेश दिनांक 12–05–2016 अपास्त किये जाते है। वादीगण/उत्तरदातागण मूल वादों के उपशमित होने के दृष्टिगत उपशमन समाप्ति हेतु विधिवत आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है। यदि वादों का उपशमन विधिवत समाप्त किया जाता है तो वादग्रस्त भूमि के अन्य सहखातेदारों को पक्षकार बनाने की कार्यवाही भी की जानी होगी। इस न्यायालय की पत्रावली संचित तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियाँ वापस की जाएं।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 04–05–2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)